© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN: 2348 - 5612 | Volume: 04 Issue: 01 | January – March 2017

पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान परिदृश्य में भूमिका (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)

[1]डॉ. रांका सिंह [2]कल्पेश चौधरी

[1]एसोसिएट प्रोफेसरए राजनीतिक विज्ञान विभाग, राजस्थान विष्वविद्याल, जयपुर–302004

[2]शोद्यार्थी राजनीतिक विज्ञान विभाग, राजस्थान विष्वविद्यालय, जयपुर–302004

सारांश :

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कियान्वित अधिकांश योजनाओं का कियान्वयन जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों के कार्यो के प्रभावी कियान्वयन हेतु विभाग द्वारा विस्तृत दिषा निर्देष जारी कर दिये गये है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज सस्थाओं को अधिकार –राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना कमांक 5 (6) पीसारूल्स/लीगल/पी.आर/10/1938 दिनांक 01.01.2011 के द्वारा राजस्थन पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2011 लागू कर दिये गये है। राज्य की समस्त 9894 ग्राम पंचायतों को आगामी तीन वर्षो में खुले में शौच से मुक्त किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 1128 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी है। मिषन मोड योजना अंतर्गत– इस योजना के अतंर्गत 51.87 करोड की राशि आवंटित की गई जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक 59.29 करोड की राषि व्यय कर 960 कार्य पूर्ण कराये जा चुके है एवं 781 प्रगतिरत है। राज्य के तहत 248 पंचायत समिति मुख्यालय एवं 3000 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलेज सेन्टर के निर्माण कार्य स्वोकृत है। जिसमें पंचायत समिति के कार्य की लागत प्रति इकाई 10 लाख तथा ग्राम पंचायत की 9 लाख की राषि स्वीकृत है। योजनान्तर्गत दिसम्बर 2015 तक पंचायत समिति के 248 कार्यो में से 242 कार्य पूर्ण हो चुके एवं 6 कार्य अप्रारम्भ है। तथा ग्राम पंचायत के 3000 कार्यो में से 2374 कार्य पूर्ण, 441 कार्य प्रगतिरत एवं 182 कार्य अप्रारम्भ है।

ISSN : 2348-5612 © URR
9 770234 856124

Note :For Complete paper/article please contact us info@uresearchr.com

Please don't forget to mention reference number , volume number,